न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—265 / 2021 / 223 आर.टी.एक्ट (2021 / 265)

1. पन्ना पुत्र पॉचू पौत्र धुला परपौत्र छीतरमल जाति गुर्जर निवासी ग्राम माता मंगरी, राजगढ़ तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. पतासी पत्नि हरि सिंह
2. इन्द्रा पुत्री हरि सिंह
3. सुरेश पुत्र हरि सिंह
4. मतरा पुत्री हरि सिंह
5. प्रभा पुत्री हरि सिंह
6. श्याम सिंह पुत्र हरि सिंह समस्त जाति रावत निवासी ग्राम चैनपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर ।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद जिला अजमेर।
8. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिए सचिव।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, राजस्व वाद संख्या 53 / 2021

उपस्थितः—

1. श्री राघवेन्द्र सिंह राणावत, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री महेन्द्र सिंह चौहान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1से 06
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 7
4. श्री हरि सिंह गुर्जर अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 08.

निर्णय

दिनांकः—20.10.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 53 / 2021 में पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध दिनांक 28.10.2021 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम राजगढ़ स्थिति विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 2578 / 3115 रकबा 0.79 है0 साविक वर्किंग नम्बर 6306 चौसाला नम्बर 5430 एवं हाल नम्बर 2591 रकबा 1.37 है. साविक वर्किंग नम्बर 6309 चौसाला नम्बर 5433 जमाबंदी सम्वत् 2015—18 में अपीलार्थी के दादा धुला पुत्र छीतरमल के नाम खसरा संख्या 5430 खातेदारी में एवं कब्जे काश्त में दर्ज रही है जिसे बाद में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना किसी आधार के वर्किंग जमाबंदी में सरकारी दर्ज कर दी गई जबकि अपीलार्थी का अपने परदादा के समय से आज तक कब्जा काश्त है जिसमें अपीलार्थी का रहवासी मकानात एवं दुकाने बनी हुई है तथा खसरा गिरदावरियों में काश्त

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

दर्ज है तथा लगातार कब्जे बाबत् लगान रसीदे भी सलंग्न है तथा उक्त पक्के निर्माण बाबत् प्रत्यर्थी संख्या 7 एवं 8 द्वारा जबरन अपीलार्थी को बेदखल करने का प्रयास करने पर एक सिविल वाद भी वर्ष 2019 से लंबित है जिसमें दिनांक 27.08.2019 को अपीलार्थी के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी की गई है जिसकी जानकारी समस्त पक्षकारान को है इसके अलावा अपीलार्थी जो कि एक पूर्व सैनिक है द्वारा एक आवेदन दिनांक 19.08.2004 को जरिये जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, अजमरे के मार्फत जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष भी वास्ते राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद दुरूस्त करने हेतु प्रेषित किया गया जिस पर दिनांक 21.08.2007 को जिला कलक्टर, अजमेर ने उचित कार्यवाही करने हेतु प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष आदेशित किया जिसके बाद चली कार्यवाही में बनी मौका रिपोर्ट दिनांक 27.10.2008 एवं 18.11.2008 से प्रत्यर्थी संख्या 7 एवं हल्का पटवारी ने अपीलार्थी का ही कब्जा काश्त एवं पक्का निर्माण होना अंकित किया है जो वर्तमान में लंबित है इसी दौराने विवादित आराजीयात को दिनांक 27.09.2013 को जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 8 अजमेर विकास प्राधिकारण,अजमेर को हस्तांतरित कर दी गई उपरोक्त सभी तथ्यों को छुपाते हुए उक्त विवादित आराजीयात बाबत् एक राजस्व वाद प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6 /वादीगण ने केवल प्रत्यर्थी संख्या 7 व 8 को प्रतिवादीगण मुर्तिब करतेहुए उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष खातेदारी घोषणा कराये जाने हेतु अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत किया जिसे विचारण न्यायालय ने दिनांक04.05. 2021 को दर्ज कर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गये जिसमें प्रत्यर्थीगण ने आपसी मिलीभगत करते हुए अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम वर्तमान में खातेदारी दर्ज है कि एक तरफा कार्यवाही करते हुए बिना किसी प्रमाणित दस्तावेज के बिना किसी राजस्व रेकार्ड के मात्र मौखिक कथनो के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने वाद को अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2021 को स्वीकार फरमाया दिया जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र वास्ते अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने हेतु अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. पर बहस में कथन किया कि विवादित आराजियात प्रार्थी के दादालाई आराजीयात है जिस पर प्रार्थी का रहवासी मकान एवं दुकान बने हुए है तथा प्रार्थी का कब्जा काश्त साबित है एवं एक सिविल वाद भी विचाराधीन है जिसमें अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की हुई है जिसकी जानकारी होने के उपरान्त भी अवैध रूप से वाद डिक्री किया गया है जो अपील एवं दस्तावेजी से बखुबी साबित है जिसमें प्रार्थी को जानबूझ कर पक्षकार ही नही बनाया गया तथा आपसी मिली भगत से अपने पक्ष में निर्णय पारित करवा लिया जिस कारण प्रार्थी अपने दादा से प्राप्त विरासती हक अधिकार से महरूम हो गया है इस कारण प्रार्थी उक्त निर्णय/डिक्री से पीड़ित एवं व्यथित है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर अपील का गुणावगुण पर निर्णय किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश41नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. पर बहस करते हुए

बताया कि उपरोक्त उनवानी अपील रेस्पोडेन्ट द्वारा कुटरचित फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर अपने पक्ष में एक पक्षीय एवं डिक्री पारित करवाई गई है। आवंटन आदेश दिनांक 09.07.1984 मुकाम राजगढ़ जो राजस्व अभियान के दौरान मजमें आम में जारी होना कथन कर निर्णय व डिक्री प्राप्त की गई उक्त कैम्प के आवंटन रजिस्टर की सम्पूर्ण कार्यवाही की सत्यप्रति जिनका आवंटन प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया काफी प्रयास के बाद प्रार्थी को अब प्राप्त हुई है जिसमें कही भी रेस्पोडेन्ट के पिता हरि सिंह को विवादित आराजीयात का कोई आवंटन नही हुआ है। इस कारण उक्त आवंटन रजिस्टर की सम्पूर्ण प्रोसिडिंग की सत्य प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। उक्त दस्तावेज प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु मान्नीय न्यायालय के उपलाकन हेतु सहायक एवं आवश्यक है तथा उक्त दस्तावेज से प्रकरण के गुणावगुण पर प्रभाव उत्पन्न होता है। इस कारण उक्त दस्तावेज अभिलेख पर लिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना आवश्यक है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात को अपील अभिलेख पर लिया जाकर तत्पश्चात अपील का गुणावगुण पर निर्णय किया जावे।

6. तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील निवेदन किया कि वादीगण के नाम कोई प्रमाणित आवंटन आदेश नही है ना ही कोई राजस्व रेकार्ड है तथा ना ही कब्ज काश्त है फिर भी बिना किसी प्रमाणित दस्तावेज के बिना किसी राजस्व रिकार्ड के मात्र मौखिक कथनो के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने वाद को अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2021 से स्वीकार किया जो विधि सम्मत नही है क्योंकि राजस्व रेकार्ड का अवलोकन करने पर विवादित आराजीयात जमाबंदी सम्वत 2015–18 में अपीलार्थी के दादा धुला पुत्र छीतरलाल के नाम खातेदारी, कब्जे काश्त में दर्ज रही है जिसे बाद में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना किसी आधार के वर्किंग जमाबंदी में सरकारी दर्ज कर दी गई। तत्पश्चात विवादित आराजीयात को दिनांक 27.03.2013 को जिला कलक्टर,अजमेर के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 08 अजमेर विकास प्राधिकारण, अजमेर को हस्तातंरित कर दी गई है।अधीनस्थ न्यायालय द्वरा राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किये बिना वाद वादीगण स्वीकार फरमाया गया जो दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होकर न्यायिक दृष्टांत 2003 आर.आर.टी. पेज 166 से बाधित है, जो अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्व नियमों के अनुसार मात्र जमाबंदी में अंकन नहीं होने से किसी के खातेदारी हेतु अधिकार समाप्त नही हो जाते है जबकि अपीलार्थी के पक्ष में एक आवेदन हेतु अधिकार समाप्त नहीं हो जाते है जबकि अपीलार्थी के पक्ष में एक आवेदन दिनांक 19.08.2004 को जरिये जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, अजमेर के मार्फत जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष भी वास्ते राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद दुरूत करने हेतु प्रेषित किया गया जिस पर दिनांक 21.08.2008 को जिला कलक्टर, अजमेर ने उचित कार्यवाही करने हेतु प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष आदेशिक किया जिसके बाद चली कार्यवाही में बनी मौका रिपोर्ट दिनांक 27.10. 2008 एवं 18.11.2008 से प्रत्यर्थी संख्या 07 एवं हल्का पटवारी ने अपीलार्थी का ही कब्जा काश्त एवं पक्का निर्माण होना अंकित किया है जिस कारण राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती की जाकर अपीलार्थी का नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है फिर भी प्रार्थी के नाम का अंकन जमाबंदी में खातेदारी में अंकित नहीं कर जो वाद डिक्री करने बाबत्

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

जो कार्यवाही की गई वह अवैध है। राजस्व रेकार्ड यथा जमाबंदियो, खसरा गिरदावरियों, लगान रसीदो, मौका रिपोर्ट एवं बेदखली की कार्यवाही से कब्जा काश्त अपीलार्थी का बखुबी साबित है तथा वादीगण ग्राम राजगढ़ के निवासी नही है इस कारण उक्त आवंटन संभव नहीं है उक्त समस्त दस्तावेजो एवं तथ्यों को छुपाकर प्रत्यर्थीगण ने जो वाद डिक्री करवाया है वह न्यायिक दृष्टांत 2015 आर.आर.टी. पेज 534 से बाधित है। वादीगण आवंटन आदेश की पालना नहीं करने के आधार पर वाद लाये है जबकि आवंटन हेतु पृथक से नियम है जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् लागू होते है तथा आंवटन आदेश की पालना हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् वाद वाद नहीं लाया जा सकता है, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने अपने निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय व डिक्री पारित किये है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2021 को निरस्त कर वाद वादीगण खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 06 ने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांट को होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा विवादित आरजी से प्रार्थी/अपीलांट किसी भी प्रकार से पीड़ित व व्यथित पक्षकार नहीं है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. को खारिज किया जावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 06 ने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41नियम 27 जा.दी. में कथन किया कि अपीलांट प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात प्रमाणित हो तथा प्रकरण से सम्बन्धित है तो स्वीकार किया जावें। यदि केवल फोटो प्रति हो तथा प्रकरण से सम्बन्धित नहीं हो तो प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे।

9. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 06 ने दौराने जवाब/बहस अपील में निवेदन किया कि वादीगण के पति/पिता हरिसिंह पुत्र देवी सिंह को चौसाला खसरा नम्बर 5430 रकबा 4–18–00 व 5433 रकबा 08–09–00 को आंवटन दिनांक 09.07.1984 को हुआ था। उक्त आवंटन की पालना राजस्व अभिलेख में नहीं की गयी। चौसाला खसरा नम्बर 5430 रकबा 04–18–00 के वर्किंग खसरा नम्बर 6306 व हाल खसरा नम्बर 2578/3115 रकबा 0.79 व 5433 रकबा 08–09–00 के वर्किंग खसरा नम्बर 6309 व हाल खसरा नम्बर 2591 रकबा 1.37 है0 सिवायचक खातेद में है किन्तु आराजी मुतनाजा पर वादीगण का कब्जा काश्त वर्तमान में है।वादीगण व स्वतंत्र गवाह के बायन से भी वादी का कब्जा होना साबित था तथा तहसीलदार, नसीराबाद द्वारा भी यह साबित है कि विवादित आवंटित भूमि पर कब्जा वादीगण का ही है। उक्त आराजी हरिसिंह को 1984 में आवंटित हुयी थी के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में 14(4) का प्रकरण विचाराधीन नही है तथा कब्जा काश्त वादीगण का ही साबित हुआ था। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि भूमि का आंवटन होने के बाद जब तक किसी न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त नहीं किया जाता है तब तक आवंटन वैध रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटित आराजी पर आवंटन आदेश की पालना सुनिश्चित होने के पश्चात ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

का वाद विधि सम्मत स्वीकार किया जाकर वादीगण को गैर खातेदार घोषित किया गया है, जो विधि सम्मत है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज की जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2021 को यथावत् रखे जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

10. विद्वान राजकीय अभिभाषक एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 08 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. में कथन किया कि अपीलांट प्रकरण से किसी भी प्रकार से पीड़ित नही है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

11. विद्वान राजकीय अभिभाषक एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 07 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41नियम 27 जा.दी. के साथ प्रस्तुत प्रकरण देरी से प्रस्तुत किये गये है इसलिए खारिज फरमाये जावें।

12. विद्वान राजकीय अभिभाषक एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 07 ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने वादी का वाद केवल मौखिक कथनो एवं आवंटन आदेश के समर्थन में तथा गवाहान के बयानो के आधार पर स्वीकार कर गैर खातेदार घोषित किया है जो विधि सम्मत नही है। अपील में कानूनी बल नही होने से अपीलांट की अपील को खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावे।

13. सर्व प्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन विवादित आराजी बाबत् सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है तथा विवादित आराजी पर मौका रिपोर्ट दिनांक 27.10.2008 एवं दिनांक 18.11.2008 से पटवारी हल्का ने अपीलार्थी का ही कब्जा माना है। जिससे प्रार्थी/अपीलांट पीड़ित व व्यथित पक्षकार होना साबित है, इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाा 96 जा.दी. को स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी/अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2021 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

14. तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41नियम 27 जा.दी. का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। बाद मनन दस्तावेज लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति है और प्रकरण के न्यायसंगत निर्णय हेतु आवश्यक होने से एवं राजस्व से सम्बन्धित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. को स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज को अपील अभिलेख पर लिया जाता है।

15. पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय का अवलोकन एवम् उभय पक्षकारान के अभिभाषकगण द्धारा बहस के दौरान दिये गये तर्को के क्रम में हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि सिविल न्यायालय जैर विचाराधीन प्रकरण 47/2019 बउनवानी पन्ना बनाम अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में प्रथम दृष्टया पन्ना पुत्र पॉचू जाति गुर्जर ने अपना कब्जा साबित करते हुए स्थगन प्राप्त किया है। उक्त आराजी पर उसका वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। कब्जे के रूप. में उसने दो दुकाने भी बना रखी है। विडम्बना इस बात की है कि तहसीलदार, नसीराबाद ने बिना मौके पर गये ही हरिसिंह पुत्र देवी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

सिंह के वारिसान के कब्जे का अपनी रिपोर्ट में अंकन किया है। यदि तहसीलदार, नसीराबाद मौके की वास्तविक रिपोर्ट बनाते तो पन्ना को भी अपनी बात अधीनस्थ न्यायालय में रखने का अवसर मिलता। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री बाबत् किसी प्रकार का अवसर नहीं मिला है जबकि विवादित आराजी पर सिविल न्यायालय ने प्रथम दृष्टया अपीलांट का कब्जा माना है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2021 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे प्रकरण में पन्ना पुत्र पॉचू जाति गुर्जर का जवाब, साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, वाद पत्र का पुनः निस्तारण गुंणावगुण पर करें।

16. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्धान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में पन्ना पुत्र पॉचू जाति गुर्जर का जवाब, साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए वाद का पुनः निस्तारण गुंणावगुण पर करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

17. निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर